लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.: *440

उत्तर देने की तारीखः 23.07.2019

आरक्षण में आनुपातिक वृद्धि

***440. श्री एम. सेल्वराजः**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के परिणामस्वरूप अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जन जातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में आनुपातिक वृद्धि कार्यान्वित करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के द्वारा इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(श्री थावरचंद गेहलोत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ): वर्तमान में, जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर आरक्षण नीति की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****